द्वारा फैक्स/ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद –1

सख्याःपाँच–2500(संयुक्त वरिष्ठता) 2015　　　दिनांकःजनवरी,25 2016

सेवामे,

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस एंव सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की भर्ती की तिथि को वर्ष(बैच) मानते हुये दिनांक 31–12–1985 तक के भर्ती कर्मियों की वर्षवार (बैचबार) अन्तिम सूची का प्रकाशन।

कृपया उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 24–12–2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या2431/6–पु0–1–15–43/2014 दिनांक 30.10.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस/एल0आई0यू0 एवं मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी नागरिक पुलिस, मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी एल0आई0यू0 के आरक्षियों की भर्ती की तिथि को "वर्ष(बैच)" मानते हुये दिनांक 31–12–1985 तक के भर्ती 13013 कर्मियों की अनन्तिम सूची उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर परिचालित करते हुये सूची में अंकित कर्मियों को अवगत कराने, विद्यमान त्रुटियों को सशोधित कराने तथा छूटे हुये नामों को सम्मिलित कराने का अनुरोध किया गया था। इसी के साथ सम्बन्धित कर्मियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों को दिनांक 31.12.2015 तक निस्तारित करके सूची में अपेक्षित संशोधन दिनांक 01.01.2016 तक उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध किया गया था।

2– उपरोक्त सन्दर्भ में जिन जनपदों/इकाईयों से संशोधित सूचनायें प्राप्त हुयी है, उनका समावेश करते हुये "उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 " के नियम–22 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम सूची वर्षवार (बैचवार) निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी है:–

(1) भर्ती के दिनॉक के वर्ष को "वर्ष(बैच)" माना गया है।
(2) पूर्ववर्ती "वर्ष(बैच)" में नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती "वर्ष(बैच)" में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ माने गये है।
(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के कम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।
(4) सूची जोनवार/परिक्षेत्रवार/जनपद/इकाई एंव पीएनओ के कम से तैयार की गयी है।
(5) मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी ना0पु0/स0पु0 मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी)एल0आई0यू0 का मौलिक पद आरक्षी होने के कारण इनका नाम भी इस सूची में सम्मिलित किया गया है
(6) यह सूची उत्तर प्रदेश पुलिस नामिनल रोल डाटाबेस प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार की गयी है तथा कर्मियों के सेवाभिलेख के परीक्षणोंपरान्त जनपदों एवं इकाई से प्राप्त संशोधनों को सम्मिलित कर लिया गया है।
(7) अन्तिम सूची में कुल–12,492 कर्मियों के नाम सम्मिलित है।

3– इस पत्र के साथ अन्तिम रूप से प्रकाशित की गयी वर्षवार (बैचवार) सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की गयी है। अन्तिम सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनॉक 31–12–1985 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस की वर्षवार (बैचवार) अन्तिम सूची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु डाउन लोड कर लिया जाये तथा सम्बन्धित कर्मियों के सेवा अभिलेख अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाये:–

(1) विगत में जनपद/इकाईयों से प्राप्त चरित्र पंजिकाओं एवं बोर्ड प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के परिशीलन से अधिकान्श कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये है अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड प्रपत्र में कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते है। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण तैयार कराया जाये।

(2) विगत में यह भी तथ्य प्रकाश में आयें हैं कि कतिपय कर्मियों के विरूद्ध अपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन थे किन्तु उसका उल्लेख चरित्र पंजिका में नहीं था तथा सम्बन्धित कर्मी द्वारा भी स्व-घोषणा पत्र में लम्बित अभियोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त तथ्य संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कर्मियों को पदावनत किया गया एवं स्व-घोषणा पत्र में तथ्यों को छिपाये जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किये गये। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

(3) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक मंतव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियां/सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-49/2013 दिनॉक 29-08-2013 द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (**परिपत्र दिनांक 29-08-2013 की प्रति संलग्न है।**)

(4) अन्तिम सूची के कर्मियों का विवरण बोर्ड प्रपत्र-3 में वर्ष-2004 से 2013 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2014 होगी। बोर्ड प्रपत्र-3 को भरने हेतु दिशा- निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। (**बोर्ड प्रपत्र-3 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।**)

(5) बोर्ड प्रपत्र-3 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-3 में सूचनायें तैयार कर चयन समिति के विचार हेतु उपलब्ध करायी जाती है, तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

(6) कर्मियों की चरित्रपंजिकायें एंव बोर्ड प्रपत्र-3 में सूचनायें चयन समिति के विचार हेतु कहॉ और कब तक उपलब्ध करायी जायेगी, इस सम्बन्ध में अलग से निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेगे।

(7) कतिपय कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही

तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम सूची के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

(8) यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित कर्मी द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–3 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी कर्मियों के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–3 के साथ संलग्न किया जायेगा।

4– अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति के विचारण के सम्बन्ध में आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक हेतु मुख्यालय का निर्धारण एवं तिथि के सम्बन्ध में तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि जनपदों/इकाईयों को बोर्ड प्रपत्र–3 एवं चरित्र पंजिका चयन समितियों को समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश समय से निर्गत किये जा सकें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
3– आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4– पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
5– पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
6– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
7– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।
8– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।
9– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-परिपत्र- 49 /2013 दिनांक : लखनऊ : अगस्त 29 ,2013

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश

3-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय:- कान्स0ना0पु0 से हेड कान्स0ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष 1997 तक भर्ती पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को त्रुटिरहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

ज्ञातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के अधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है । अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना रहती है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में अकारण रखी ही जाती है। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्नति के पात्र होते हुये भी किसी कर्मी को प्रोन्नति नही मिलती है अथवा विलम्ब से मिलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रकिया के त्रुटिरहित निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्टि अद्यावधिक कर दी गई है तथा साथ ही नामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियाँ फीड कर दी गई है।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/इकाई स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमे प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर कार्य के दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त कर निम्नवत् सभी विन्दुओं पर वांछित अद्यावधिक सूचनाएं प्राथमिकता के अधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें :-

वार्षिक मन्तव्य-

1- कर्मियो के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।

2- कर्मियों के प्रतिकूल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय, तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय ।

PHQ ALD

3—कर्मियों के वार्षिक मनतव्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की'मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मान्य नही है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजिका नहीं प्रेषित किया जावे ।

4— कर्मियों के वार्षिक मनतव्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 36/8/1976—कार्मिक—2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैक की मोहर लगाकर वार्षिक मनतव्य प्रेषित किये जाते हैं । दो वर्ष से अधिक वर्षो में ब्लैंक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नही मान्य होगा। अतः दो वर्षो से ज्यादा में ब्लैक की मोहर न लगाई जाय।

5—यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तव्य न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध मे निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये:—

(1) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र । इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षो में वह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर तो नहीं रहे हैं ।

(2) उपरोक्त वर्षो मे उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यनिष्ठा, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध मे दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। जैसे—किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये वर्ष—2008 मे दण्ड मिला हो तो दोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष—2008 मे दण्ड मिला है ।

(3) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी के विरूद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमें की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है (क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अन्तिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? या विचारण होकर ट्रायल पर आया है, अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

सत्यनिष्ठा—

कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय ।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन —

1—कर्मियो को 14(1) अथवा 14(2) के अर्न्तगत प्रदत्त दण्ड का उद्धरण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धरण में अवश्य अंकित हो ।

2—कर्मियों को दिये गये दण्ड के विरूद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विचाराधीन होने का स्पष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3—कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध यदि मा0 लोक सेवा अधिकरण अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उसकी चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

निलम्बन-

1-कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका मे किया जाये ।

2-कई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाना अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मी अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पंजिका के किसी खाली पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अवश्य अंकित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण के सम्मुख अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बधित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध-

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके विरूद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये। यदि अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाप्रति चरित्र पंजिका में अंकित और चस्पा की जाय। मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग मे यदि कोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे संलग्न की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाये। यदि मा0 न्यायालय मे विचाराधीन अभियोग मे कोई कर्मी को दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मा0 न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे चस्पा कर दी जाये। सम्प्रति कर्मियों के विरूद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पंजिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के संबन्ध में चयन समिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4- ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर लें जिनकी चरित्र पंजिका जनपद में प्राप्त नही है अथवा खो गई है और डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की गई हो। इस क्रम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि डुप्लीकेट चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्तव्य, दीर्घ, लघु अथवा क्षुद्र दण्डों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता का उल्लेख कर दिया गया है । दण्डों के सम्बन्ध में की गई अपील तथा रिवीजन की अद्यावधिक स्थिति भी स्पष्ट की जाय । <u>इस कार्य का अनुश्रवण प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रभारी द्वारा किया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय</u> ।

5- राज्याधीन सरकारी सेवा मे सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों की स्पष्ट सूचना उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र-3 मे अंकित किया जाये :-

1- यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है ।

2- यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है ।

3-यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

6- विदित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रोन्नति प्रकिया बाधित होती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 1970 से 1997 भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पंजिकायें पूर्ण करा ली जाय तथा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड प्रपत्र-3. में अति सावधानीपूर्वक समस्त सूचनायें अंकित की जाय। इस कार्य को 30 सितम्बर, 2013 तक त्रुटिविहीन

रूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(देवराज नागर) 29.8.1
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :-

1-पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण, खाद्य प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सीबीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार ,विशेष जाँच, पीसीएस, सतर्कता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।

3-पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश।

4-पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

31.8.13
निर्गत
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0 प्र0 लख0

बोर्ड प्रपत्र-3 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-3" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: आरक्षी नागरिक पुलिस।
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। **मौलिक नियुक्ति की तिथि-** का आशय अभ्यर्थी के आरक्षी ना0पु0 के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	**सेवा अवधि-** का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 न0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

<u>सामान्य निर्देश :-</u>

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।
3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

स्वघोषणा–पत्र

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————पुत्र ————————निवासी————————थाना————————जनपद————————वर्तमान में (जनपद/इकाई)———————— नियुक्त हूँ तथा वर्ष————————का भर्ती आरक्षी हूँ। मैं, प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:———————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————थाना ———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनॉक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।